P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-7* (Part-1) October- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिलाओं का समानता का अधिकार एवं सबरीमाला मंदिर प्रवेश व्यवस्था

कविता देवी
सहायक प्रवक्ता,
राजनीति शास्त्र विभाग,
आर्य कन्या महाविद्यालय
गुरुकुल,
मोर माजरा, करनाल

सारांश

''मानव हमेशा से सफाई और बचाव तलाशता रहा है जो उसके उन दृष्टिकोण का समर्थन करें जिनकी वजह से मानवता को नुकसान हो रहा है। असली मानवीय मूल्य कागजों में रह जाते हैं।''

आज भी भारतीय समाज का एक तबका पुरानी भेदभावपूर्ण संकीर्ण परंपराओं की प्रवृत्ति से ग्रस्त है जिसके कारण महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा दिलाने वाले कानूनी प्रावधानों को धरातलीय पृष्ठभूमि पर उतारने में असफलता मिल रही है। पुरुष प्रधान सामाजिक प्रवृत्तियों के चलते कानूनों को असली जामा पहनाने में व महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने में हमारी न्यायपालिका को विरोध व कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय रूढ़िवादी समाज में आज अगर महिलाएँ पुरुषों के बराबर का दर्जा हासिल किए हुए हैं तो इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं व उदारशील विचारों वाले जजों को जाता है, जिन्होंने समाज में एक तबके के विरोध के बावजूद ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। आज एक बार फिर सबरीमाला मंदिर में 800 साल पुरानी संकीर्ण धार्मिक परम्परा से सम्बन्धित 1965 में बने हिन्दू पूजा स्थल (प्रवेश अधिकार) की धारा 3(बी) को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय देकर उदारता व साहस का परिचय दिया है।

मुख्य शब्द : सबरीमाला विवाद, सांवैधानिक व्यवस्था, समानता धार्मिक स्वतन्त्रता।

प्रस्तावना

सबरीमाला मंदिर में उपयोग हो रही 1965 की नियमावली की धारा 3 (बी) को माननीय कोर्ट ने रद्द कर महिलाओं के समानता के अधिकार का व्यापक अर्थ स्पष्ट कर भेदभाव परिपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय दिया है। सर्वोच्च नययालय की संविधान पीठ के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को इस आधार पर मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि उनके मंदिर में आने पर शांति व कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है या फिर किसी तरह की नैतिकता भंग हो सकती है या स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। परम्परा के आधार पर समानता (अनुच्छेद 14) धार्मिक स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 26) के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बायोलाजिकल आधार पर भी पूजा के लिए भेदभाव करने की मनाही की गई है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सबरीमाला मंदिर में चली आ रही 800 साल पुरानी परम्परा के आधार बने हिंदू पूजा स्थल (प्रवेश अधिकार) कानून की प्रासांगिकता का अध्ययन करना।
2. संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 के सन्दर्भ में धार्मिक भेदभाव का तर्कसंगत आधार पर विश्लेषण करना।
3. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सम्बन्ध में आई विरोधी विचारधाराओं के औचित्यता की परख करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में सबरीमाला मन्दिर विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को आधार बनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 28 जिनमें कि पुरुषों और स्त्रियों का बराबरी का अधिकार प्राप्त है, का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें विषय से सम्बन्धित पुस्तकों पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, लेख–आलेख तथा वेबसाईट आदि स्त्रोतों से प्राप्त अध्ययन सामग्री का उपयोग अध्ययन में किया गया है।

साहित्यावलोकन

Jitheesh P.M., "Appropriation of Ayyappa Cult: The History and Hindusatan of Sabrimala Temple", Oct. 12, 2018 (Online) में 10 से 50 साल

तक आयु की महिलाओं पर मंदिर में प्रतिबन्ध से सम्बन्धित परम्परा का ऐतिहासिक आधार पर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला है कि 1940 से पहले इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम की पुष्टि नहीं होती। राजवंशों के परिवारों के प्रवेश के सम्बन्ध में ढील बरती जाती रही है।

1. प्रो० मधुसूदन त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक ''संविधान एवं महिला अधिकार में संविधान द्वारा प्रदान की गई अधिकारों की व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।
2. रमेश प्रसाद द्विवेदी ने अपने शोध–पत्र, ''महिलाएँ एवं मानवाधिकार संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान (2013)'' में महिलाओं के हनन के विविध तरीकों को स्पष्ट किया है, इन्होंने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान है क्योंकि इसकी जड़े सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई है।

नारी दशा का समसामयिक विश्लेषण

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की जीवनशैली में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जिनसे उनके व्यवहार, मूल्य संवेदनाएँ तथा प्रेरणाशक्ति ही प्रभावित नहीं हुई है बल्कि आज वे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी कर रही है। कानूनी प्रावधानों के परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन के घूमते चक्र के कारण आज महिलाओं को रूढ़िवादी भूमिका से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। अब महिलाएँ मात्र गृहणी की ही भूमिका तक सिमटी नहीं है बल्कि आधिपत्य, साहसी, उत्साहित और परिपक्व स्त्री के रूप में सहज ही देखी जा सकती है। परन्तु इन सामाजिक परिवर्तनों का असर शहरी शिक्षित महिलाओं में और उसमें भी विशेष रुप से मध्यवर्गीय महिलाओं पर अधिक पड़ा है। शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार तथा न्यायपालिका की साकारात्मक भूमिका ने उन्हें अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वे पढ़ लिखकर विकास की दौड़ में पुरुषों के बराबर आ खड़ी हुई है तथा चारदिवारियों से निकल कर कामकाज की आधुनिक दुनिया में शामिल हो रही है। आज वे समाज में बराबरी के हक को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है चूँकि पूर्ण रुप से उन्हें यह प्राप्त नहीं हुआ है इसीलिए न्यायापालिका द्वारा सामाजिक व धार्मिक, कुरीतियों व भेदभावपूर्ण परम्पराओं को तोड़कर उन्हें हक दिलवाने का प्रयास किया जाता रहा है।

लिंगीय मतभेद वैसे तो एक विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन हमारे देश में तो इस समस्या का प्रकोप सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों के कारण गहरे तक पैठ बनाए हुए है, सामाजिक, धार्मिक व अन्य संस्थाएँ इन कुरीतियों को बनाए रखने की पहरेदार रही हैं। जबकि लिंगीय भदे को खत्म करने में हमारी न्यायपालिका के द्वारा अहम् भूमिका अदा की जाती रही है। कई बार अनुदारवादी वैचारिक वर्ग तथा रुढ़िवादी एवं संकीर्ण सोच की प्रवृत्ति के लोगों के कड़े विरोध का सामना भी न्यायपालिका को करना पड़ा है। परन्तु हमारी न्यायपालिका द्वारा श्रेष्ठता व कर्मठता का ही परिचय दिया गया। यह सदैव संवैधानिक व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए अडिग रही है। इसका ताजा उदाहरण सबरीमाला व आईपीसी की धारा 497 से सम्बन्धित विवाद में दिए गए निर्णय है। दोनों निर्णयों के सम्बन्ध में विरोध उभरकर सामने आया है। सबरीमाला विवाद में दिए गए निर्णय को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना जा रहा है जबकि आईपीसी की धारा 497 के लिए वैवाहिक संबंधों के लिए नैतिकता को आधार बनाया जा रहा है। इन पुरातन पंथी कानूनों को बनाए रखने के पक्षधर लोगों की सोच संकीर्णता से परिपूर्ण है। महिलाओं के प्रति समाज में जो भेदभाव पूर्ण नीतियाँ अपनाई जाती रही है वो दोहरे मापदण्ड का ही परिणाम कही जा सकती है। एक तरफ तो उन्हें देवी माना जाता है, दूसरी तरफ धार्मिक आस्था के मामले में उन पर कठोर प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। धर्म में पुरुषवादी धारणा को किसी भी धार्मिक आस्था और पूजा के अधिकार के ऊपर मान्यता नहीं दी जा सकती। शारीरिक वजहों से महिलाओं को मंदिर आने से रोकना रिवाज का जरुरी हिस्सा नहीं हो सकता। यह महिलाओं की गरिमा को ठेस लगाने वाला व भेदभाव परिपूर्ण सोच का परिणाम है। यह उनके सम्मान और पूजा अर्चना के मौलिक अधिकार का हनन करने वाला है।

सबरीमाला मंदिर से सम्बन्धित व्यवस्था

त्रावणकोर स्थित सबरीमाला मंदिर को कोचिन हिन्दू धर्म संस्थान एक्ट 1950 के तहत संचालित किया जाता है। इस एक्ट में 2007 में संशोधन किया गया था और महिलाओं को प्रबन्ध समिति में शामिल किया गया था। मन्दिर के अन्दर व्यवस्था 1965 में बने हिन्दू पूजा स्थल (प्रवेश अधिकार) कानून के तहत स्थापित की जाती रही है। 1965 की नियमावली में बना नियम 3 (बी) महिलाओं को मंदिर में प्रवेश व पूजा के अधिकार से रोकता था इसके तहत मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी। इसका कारण भगवान अय्यप्पा के ब्रह्मचारी स्वरुप को माना गया था तथा कहा गया था कि महिलाएँ मासिक धर्म के दौरान शुद्ध नहीं होती इसलिए उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया था। सबरीमाला मंदिर प्रशासन का कानूनी अधिकार 'त्रावणकोर देवस्वम' को है, बोर्ड मंदिर से जुड़े नियमों को तय करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 26 से प्राप्त करता है, जो किसी भी धार्मिक संस्थान को आतंरिक मामलों का प्रबन्ध करने का अधिकार प्रदान करता है।

सांवैधानिक पहलू

भारतीय संविधान स्त्री–पुरुषों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है। संविधान के द्वारा न तो पुरुषों का पक्ष लिया जाता है और न ही महिलाओं का विरोध किया जाता है। जिस तरह संविधान की नजर में स्त्री–पुरुष समान है, उसी प्रकार महिलाओं के पक्ष में बने अनेकों कानूनों के द्वारा भी उन्हें पुरुषों के समान दर्जा दिलाकर उनके लिए समुचित न्याय का प्रबन्ध किया गया है। हालॉकि अधिकारों के मामले में स्त्री व पुरुष दोनों ही समान है। लेकिन महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न इसलिए अधिक उठता रहता है क्योंकि इनके अधिकारों के हनन की घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक रहती हैं। शिक्षा की कमीं के कारण महिलाएँ जागरूक नहीं हो पाती। उन पर

परंपरागत संकीर्ण रीतिरिवाजों का दबाव रहता है तथा उन्हें सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों व आडम्बरों के चलते भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान नहीं है। इनकी सुरक्षा के लिए दहेज प्रतिबंध अधिनियम, भरण–पोषण संबंधी कानून, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, हिन्दू अव्यस्क्ता एवं संरक्षता अधिनियम जैसे अनेकों कानून बने हैं जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में उत्तरोतर सुधार अवश्य हुआ है परन्तु अभी भी समाज में भेदभाव विद्यमान है इसका मुख्य कारण यह है कि भेदभाव की जड़े सामाजिक प्रतिमाओं, धार्मिक परम्पराओं नैतिक मूल्यों एवं रीति रिवाजों में गहरे तक जमी हुई है तथा पुरुष प्रवृत्ति वाले लोग उनमें परिवर्तन के पक्षधर नहीं है।

संविधान की प्रस्तावना

''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म–समर्पित करते है।''

अनुच्छेद 14

''भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।''

कानून के सामने समानता का अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है अर्थात् समान स्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

अनुच्छेद 17

''संविधान का यह अनुच्छेद छुआछूत को संपूर्ण भारत में समाप्त करने की व्यवस्था करता है।''

अनुच्छेद 25

''संविधान का यह अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 26

''इस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है।''

विवादित पहलू

सबरीमाला मंदिर में प्रशासन व व्यवस्था का अधिकार 'त्रावणकोर देवस्वम' को है। बोर्ड मंदिर से जुड़े नियमों को तय करने का अधिकार अनुच्छेद 26 से प्राप्त करता है, जो कि किसी भी धार्मिक संस्थान को आंतरिक मामलों का प्रबन्धन करने का अधिकार देता है। लेकिन मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर रोक 'केरल हिन्दू प्लेसेज ऑफ पब्लिक वर्शिप रुल्स 1965' के नियम 3 (बी) के तहत लगाई गई है। इस नियम के अनुसार परम्परा के आधार पर किसी को पूजा के स्थान पर जाने से रोका जा सकता है।

विचारणीय बिन्दु

1. क्या परंपरा के नाम पर लिंग को आधार बना कर समानता के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा सकता है।
2. क्या सबरीमाला मंदिर की परंपरा संविधान के अनुच्छेद 25 के आधार पर किसी धर्म की मूल भावना के अन्तर्गत आती है।
3. बायोलाजिकल आधार पर मंदिर में पूजा से रोकना क्या छूआछूत विरोधी अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है या मासिक धर्म, जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया है को आधार बना मंदिर में प्रवेश से रोकना संविधान की प्रस्तावना में दी गई सम्मान, प्रतिष्ठा व गरिमा की भावना का उल्लंघन है।

यह उचित है कि अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी धार्मिक संस्थान को अपने धार्मिक प्रबन्ध की संविधान के द्वारा आजादी दी गई है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करे। धार्मिक आधार पर भेदभाव करना किसी भी तरह से उचित नहीं हो सकता। यह सीधे धार्मिक स्थल पर किए जा रहे लिंग आधार भेदभाव को दर्शाता है। संविधान द्वारा जब हर प्रकार के भेदभाव को खत्म किया गया है, तो धार्मिक स्थल पर भेदभाव जारी रहना असंवैधानिक है। संवैधानिक कानूनों के आगे किसी परम्परा का औचित्य नहीं रह जाता। यदि धार्मिक परंपरा के आधार पर भेदभाव जारी रखने की माँग को आज उचित ठहराया जा सकता है तो कल सामाजिक, नैतिक व आर्थिक आधार पर लिंगीय भेदभाव को मान्यता भी दी जा सकती है जो कि किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं हो सकती।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

1. भगवान अय्यप्पा एक अलग धार्मिक पंथ नहीं है निश्चित आयु की महिलाओं पर रोक लगाने का नियम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है।
2. अनुच्छेद 25 के तहत सभी को धार्मिक आस्था और पूजा अर्चना का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इनमें महिलाएँ भी शामिल हैं। यह अधिकार केवल पुरुष वर्ग पर लागू नहीं किया जा सकता।
3. धार्मिक स्थलों के प्रबन्धन की आजादी के अनुच्छेद 26 के तहत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
4. मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को बाहर करना एक तरह से छुआछूत है जो कि संविधान द्वारा वर्जित है। मासिक धर्म एक जैविक कारक है इस आधार पर भेदभाव करना प्रस्तावना में दिए गए सम्मान, प्रतिष्ठा और गरिमा की भावना को ठेस लगाना है।
5. धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार में सभी को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है इसमें जेंडर और शारीरिक विभिन्नताओं को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। महिलाएँ किसी भी उम्र की

हो, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का पुरुषों के बराबर ही अधिकार है।

अतः स्पष्ट हो जाता है कि सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी वाला यह कानून संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना के उद्देश्य, अनुच्छेद 14 में अंकित समानता के अधिकार व अनुच्छेद 25 में अंकित धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार का सीधे–सीधे उल्लंघन था। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना न तो उम्र के आधार पर अचित था और न ही उनकी शारीरिक अवस्था के आधार पर। संविधान के तहत सभी को पूजा अर्चना का अधिकार प्राप्त है। सबरीमालो मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश पर पाबन्दी भक्ति में लिंग भेद का जीता जागता उदाहरण था। यह कानून धर्म की आड़ में महिलाओं को पूजा के हक से रोकता था। जबकि पुरुषों को यह अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त था। संवैधानिक व्यवस्था के 7 दशकों बाद भी समाज ऐसे भेदभाव परिपूर्ण कानूनों का लागू रहना भारतीय समाज की विडम्बना ही कही जा सकती है। यह रिवाज पुरुष प्रधान समाज का नतीजा था। जाग्रत समाज वही होता है जो देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को और साथ ही अपनी परंपराओं को बदलता रहे, जिस समाज में ऐसा नहीं होता वह जड़ता का शिकार हो जाता है। इसका कोई औचित्य नहीं कि धर्म और संस्कृति के नाम से किसी भी तरह के भेदभाव को संरक्षण मिले। मानव समाज की गरिमा के प्रतिकूल धार्मिक–सांस्कृतिक या सामाजिक, परम्पराओं को किसी आधार पर जारी नहीं रखा जा सकता। सभी को समान निगाह से देखने वाला ईश्वर स्त्री–पुरुष में भेद कैसे कर सकता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएँ मंदिर में प्रवेश के योग्य नहीं रह जाती यह सोच आधुनिकता से मेल नहीं खाती। इसका सीधा अर्थ अपवित्रता से लिया जा सकता है। यह सोच स्त्री शक्ति व मातृ शक्ति का अनादर करने वाली थी।

`

निष्कर्ष

सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी से संबंधित 53 साल पुराने कानून का रद्द हो जाना निश्चित ही महिलाओं के अधिकारों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के पुरुष जजों के द्वारा महिलाओं के पक्ष में यह फैसला देना सामाजिक परिवर्तन की और इंगित करता है। हालॉकि निर्णय का काफी विरोध किया जा रहा है। खुद महिलाएँ भी इस विरोध में प्रदर्शन कर रही है और राजनीतिक गलियारों में भी वोट की राजनीति करने का काम शुरू हो गया है। जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भेदभाव की समस्या का पूर्ण निदान तभी संभव है जब भारत के पुरुष प्रधानता वाली सामाजिक भावना में बदलाव हो। इसके लिए समाज व राज्य दोनों को ही अपना नैतिक व विधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। वर्तमान व्यवहारिक स्वरुप यही मांग करता है कि एक ऐसी सामाजिक पहल हो जिसमें महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *https://thewire.in>law>sabrimala/nov/7/2016 The Sabarimal Case has the Potential to be Constitutional Watershed – The Wire*
2. *https://www.Indiatoday.in>story/sept 28, 2018. Sabrimala temple ens ban on women admission: Weird and ridiculous laws against women from all over the world.*
3. *www.layerscellective.org>2016/04 In the Supreme Court of India Civil Original Jurisdiction I.A.N. 10 of 2016 in writ Petition (Civil) No. 373 of 2006.*
4. *https://thewire.in>history>app Oct 12/2018. Appropriation of Ayyappa Cult : History and Hinduisation of Sabrimala Temple.*
5. *https://www.deepawati.co.in>ayyapa/Nov. 3/2017 अय्यप्पा मंडला पूजा कथा महत्त्व एवं सबरीमाला मंदिर इतिहास*
6. *रमेश प्रसाद द्विवेदी, महिलाएँ एवं मानवाधिकार : सांवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान, Research Journal of Humanities and Social Science. 4 (2) : April-June, 2013, 231-237.*